

Deputation :

Officers of the Central Govt . (a) (i) Holding analogous posts on regular basis: Or (ii) With five years regular service in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; Or (iii) With eight years' regular service in the posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and

(b) Possessing three years experience in administration, Establishment and accounts matters

Note :

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment of deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion,

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

[F No CP/0407]

M N. SUKMARAN, Under Secy

Foot note:—The principal rules, 1996 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 09 Mar 1996 under notification of the Government of India, in the Ministry of Defence SRO No. 31 dated 28 Feb 1996

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2000

का.नि.आ. 283.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (सिविल निर्माण काडर) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, निर्माण स्थापन में राजपत्रित अधिकारी (समूह "क" और "ख") के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (सिविल निर्माण अधिकारी काडर) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसे अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन अथवा चयन सह स्पष्टता या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य कार्यपालक (सिविल निर्माण और संपदा)	01* (2000) *कार्यभार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (तकनीकी)	18400-500-22400 रु०/-	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति:—ऐसा मुख्य संनिर्माण इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे स्पष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

प्रतिनियुक्ति :—

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी—

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उर्सा या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी मंरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता

जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|--|---------|
| 1. अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक, अनुसंधान और विकास | मदस्य |
| 3. दो मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/वैज्ञानिक 'एच' | मदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य मनिर्माण इंजीनियर	04* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (तकनीकी)	16400-450-20000 रु० पर चयन	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है।)	लागू नहीं होता
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी	

(6)

उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :—

नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

- (1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य;
- (2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या निष्पादन का 12 वर्ष का अनुभव;
- (3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की वृहत् समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/निष्पादन का अनुभव; या

संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवसाय, वृक्ष संवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियों, भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेषज्ञीय जानकारी।

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसा अपर मुख्य इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण :—1. ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो 1-1-1996 पूर्व संयुक्त निदेशक (संकर्म) का पद धारण किए हुए हैं; अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की भी संगणना की जाएगी।
 2. ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो 1-1-1996 के पश्चात् संयुक्त निदेशक (संकर्म) या/और अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर के पद धारण किए हुए हैं, संयुक्त निदेशक (संकर्म) और अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर की पूर्वोक्त श्रेणियों में की गई नियमित सेवा की भी गणना की जाएगी।
 3. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी शिक्का की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी :—

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण :—पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना से कर्नल या समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी :—

(i) जिनके पास उस पंक्ति में कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की बृहद् समय-बद्ध परियोजनाओं के सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निष्पादन का पांच वर्ष का अनुभव है या ऐसे लैफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य जिन्होंने उस पंक्ति में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ii) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि में रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसके उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के, पद पर उनके वास्तविक चयन से पूर्व, सेवा निवृत्त होने या 'रिजर्व' में स्थानांतरित किए जाने की दशा में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवापिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

टिप्पण : [प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	अध्यक्ष
2. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/वैज्ञानिक 'एच'	सदस्य
3. मुख्य कार्यपालक, (सिविल निर्माण और संपदा)	सदस्य
4. कार्मिक निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपर मुख्य संनिर्माण इंजीनियर	8* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (तकनीकी)	14300-400-18300/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती है)।	लागू नहीं होता
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह	

(6)

अंतिम तारीख जो असम, मेघालय
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी
उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
गई है।

(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिक इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निष्पादन का दस वर्ष का अनुभव।</p> <p>(3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की वृत्त समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/उसके निष्पादन का अनुभव; या।</p> <p>संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवसाय, वृक्ष संवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियों, भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेषज्ञीय जानकारी।</p> <p>चांछनीय : मान, समायोजन/बजट मानीटर करने और परिमाण सर्वेक्षण करने का ज्ञान।</p>	नहीं	मीचे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
(11)	(12)	
<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति : ऐसे मुख्य संनिर्माण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं।</p> <p>टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	
	प्रतिनियुक्ति : (सिविलियन अधिकारी)	
	केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी :—	
	<p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ii) जिन्होंने 12000-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	

(12)

(ख) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण :—पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : (सैनिक अधिकारी)

सेना से कर्नल समतुल्य या समतुल्य ले. कर्नल/समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी:—

(i) जिन्होंने उस पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ii) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या 'रिजर्व' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसके उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण : (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन/ वैज्ञानिक 'एच' | —सदस्य |
| 3. मुख्य कार्यपालक, (सिविल निर्माण और संपदा) | —सदस्य |
| 4. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-	10*	साधारण केन्द्रीय	12000-375-	योग्यता के आधार	45 वर्ष से अधिक नहीं	लागू नहीं होता
मुख्य	(2000)	सेवा, समूह 'क',	16500/- रु	पर चयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनु-	
संनिर्माण		राजपत्रित			सार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल	
इजीनियर	*कार्यभार के	(तकनीकी)			करके पांच वर्ष तक की जा सकती	
	आधार पर				है।)	
	परिवर्तन किया				टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के	
	जा सकता है				लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों	
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	

(6)

गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
(1) सिविल/विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।		
(2) सिविल निर्माण की योजना बनाने या उसके निष्पादन का दस वर्ष का अनुभव।		
(3) कार्यशालाओं/कारखानों/अनुसंधान स्थापनों की वृहत समयबद्ध परियोजनाओं की योजना बनाने/उसके निष्पादन का अनुभव; या		
संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक मुख सुविधाओं की व्यवसाय, वृक्ष संवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का अनुभव और भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियों, भूमि मूल्यांकन तकनीकों, स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेषज्ञीय जानकारी।		
वांछनीय :		
(1) सर्वेक्षण संस्थान में भवन निर्माण और क्वालिटी सर्वेक्षण में डिग्री।		
(2) बजट नियंत्रण और सिविल संकर्म को मानीटर करने का ज्ञान।		
(3) सिविल संकर्मों की संरचना और उसकी योजना बनाने का अनुभव।		

(11)

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर मोथी भर्ती द्वारा।

25 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति : ऐसे मुख्य संनिर्माण इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी—

- (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;
- (ii) जिन्होंने 10000-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना से लैफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य या मेजर/समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी:—

- (i) जिन्होंने उस पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

ऐसे अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 'रिजर्व' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हता हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जा सकता है जिसको उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण :—(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नियंत्रक, वैज्ञानिक 'एच' रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —सदस्य |
| 3. मुख्य कार्यपालक, सिविल निर्माण और संपदा | —सदस्य |
| 4. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संनिर्माण इंजीनियर (2000)	11*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित *कार्यभार के (तकनीकी) आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	10000-325-15200/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके पांच वर्ष तक की जा सकती हैं।)	लागू नहीं होता
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के	

(6)

लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

नहीं

कठन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

- (1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।
- (2) कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का स्थल/क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए या संपदा प्रबंध (अर्थात् अधिक्रमण, विकास फलोपभोगों, मुकदमा और उनसे संबंधित विषय) बसी हुई संपदा के लिए नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने, वृक्ष सवर्धन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, नगर विषयक कर और उनसे संबंधित विषयों का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव और भूमि सर्वेक्षण तथा भूमि का मूल्यांकन स्थावर संपत्ति की बाबत बातचीत से तय किए गए क्रय/भाड़े पर लेने से संबंधित नियमों की विशेषज्ञीय जानकारी। सिविल संकर्मों के चालू/अंतिम बिलों की विधीक्षा, संविदा दस्तावेजों/विचलन आदेशों की संवीक्षा करने और संविदाओं के संशोधनों, सिविल संकर्मों के बजट का नियंत्रण, भंडारों की लेखा परीक्षा का कम से कम चार वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर कार्यक्रमण/पद्धति विश्लेषण का ज्ञान।

वांछनीय :

- (1) समयबद्ध परियोजनाओं से संबंधित संकर्मों की योजना बनाने/परिकल्पना करने का अनुभव।
- (2) बजट मानीटर करने और संकर्म व्यय का नियंत्रण करने तथा वास-सुविधा संबंधी मामलों का ज्ञान।

(11)

(12)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसा उप संनिर्माण इंजीनियर, जिम्मे उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे प्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले

(12)

पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सम्पन्नतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (सिविलियन अधिकारी)

केन्द्रीय सरकार की संगठित इंजीनियरी सेवा के ऐसे सिविलियन अधिकारी—

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,
- (ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और उसमें अनुभव है तथा

(ख) और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण—घोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सेना अधिकारी)

सेना में मेजर/समतुल्य या कैप्टन/समतुल्य की पंक्ति के ऐसे इंजीनियर अधिकारी—

- (i) जिन्होंने उम्र पंक्ति में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ii) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं हैं।

ऐसे अधिकारियों को, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 'रिजर्व' प्रवर्ग में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव है, भी उम्र तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जा सकता है जिन्हें उन्हें मशमूर बल में निर्भुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण :—[प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

1. अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष
2. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —सदस्य
3. मुख्य कार्यपालक, (सिविल निर्माण और संविदा) —सदस्य
4. रक्षा अनुसंधान और विकास प्रभाग का एक अधिकारी, जो वैज्ञानिक 'डी'/समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-संनिर्माण इंजीनियर	9*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (तकनीकी)	8000-275-13500/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	28 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। केन्द्रीय	लागू नहीं होता

<p>(2)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>(6)</p> <p>सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में ऊपरी आय सीमा शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>(आय-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	
<p>(8)</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(1) सिविल/विद्युत्/यांत्रिकी इंजीनियरी या स्थापत्य कला में डिग्री या समतुल्य।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(1) वाम-सुविधा संबंधी मानों, सिविल संकर्म परियोजनाएँ, बनाने परियोजना प्राक्कलनों/संविदा-दस्तावेज; आदि तैयार करने का ज्ञान।</p> <p>(2) अनुसंधान और विकास स्थापनों/प्रयोगशालाओं के तकनीकी प्रशासनिक की अभिकल्पना योजना बनाने में अनुभव।</p>	<p>(9)</p> <p>नहीं</p>	<p>(10)</p> <p>दो वर्ष</p>
<p>(11)</p> <p>25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर मीथी भर्ती द्वारा।</p> <p>75 प्रतिशत मीथी भर्ती द्वारा।</p>	<p>(12)</p> <p>प्रोन्नति : ऐसा सहायक संनिर्माण इंजीनियर, जिसने उम श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	
<p>(13)</p> <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निर्दिष्ट होंगे :—</p>	<p>(14)</p> <p>लागू नहीं होता</p>	

(13)

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | अध्यक्ष भर्ती और निर्धारण केन्द्र रक्षा अनुसंधान और विकास मंगठन | —अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास मंगठन | —सदस्य |
| 3 | मुख्य कार्यपालक,
(मिविल निर्माण और संविदा) | —सदस्य |
| 4 | रक्षा अनुसंधान और विकास प्रभाग का एक अधिकारी, जो वैज्ञानिक 'सी' / समतुल्य का पंक्ति से नीचे का न हो | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक मंनिर्माण इंजीनियर	9* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित (तकनीकी)	6500-200-10500/- रु.	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	नहीं	नहीं

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐमा ज्येष्ठ सहायक इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिममें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1 मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास मंगठन	—अध्यक्ष
2 निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास मंगठन	—सदस्य
3 मुख्य कार्यपालक, (मिविल निर्माण और संविदा)	—सदस्य
4 रक्षा अनुसंधान और विकास प्रभाग का एक अधिकारी, जो वैज्ञानिक 'ख' / समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो	—सदस्य

[फा. सं. डी आर डी ओ/17307/निर्माण/एम. पी. डी.]
एन. सी. एस. नेगी, उप सचिव

New Delhi, the 13th November, 2000

S.R.O. 283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation. Ministry of Defence (Civil Works Cadre) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Gazetted Officers (Group 'A' and Group 'B') posts in the Construction Establishment, Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Civil Works Officers Cadre) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the schedule aforesaid

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Chief Executive (Civil Works and Estates)	1*	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs 18400-500-22400	Selection by merit	Not applicable	Not applicable	Not applicable

* (2000) Subject to variation dependent on work load

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By Promotion, failing which by deputation.	<p>Promotion Chief Construction Engineer with five years regular service in the grade Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>Deputation : Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis, or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Rs 16400-20000 or equivalent.</p> <p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appoint-</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion consisting of) -</p> <p>1. Chairman, Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman</p> <p>2. Director General, Research and Development —Member</p> <p>3. Two Chief Controllers, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H' —Members</p>	Not applicable

ment on deputation
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications)

1	2	3	4	5
Chief Construction Engineer	4* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs 16400-450-20000	Selection by merit
6	7	8		
Not exceeding 50 years (reexable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Not applicable	Essential : (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/Mechanical Engineering or in Architecture. (2) 12 years' experience in planning or execution of civil works (3) Experience in planning/ execution of major time-bound projects of Workshops/Factories/Research Establishments. or Experience in Estate management (i.e. encroachments, development, usufructs, litigation and the matters relating thereto;) Provision of civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and the matters relating thereto; and expert knowledge of Land Acquisition Laws, Land valuation techniques, rules related to negotiated purchase/hiring of immovable property		

9	10	11
No	One year for direct recruits	By promotion, failing which by deputation or re-employment of ex-service officers, failing both by direct recruitment

12	13	14
<p>Promotion :— Additional Chief Construction Engineer with five years' regular service.</p> <p>Note :</p> <p>1. For the purpose of counting of qualifying service, for all the persons holding the post of Joint Director (Works) before 1-1-96, the regular service rendered in that grade is also to be counted</p> <p>2. For the purpose of counting of qualifying service all the persons holding the posts of Joint Director (Works) or/and Addl CCE after 1-1-96, the regular service rendered in the aforesaid grades of Joint Director (Works) and Addl.CCE is also to be counted.</p> <p>3 Where juniors who have completed qualifying/eligibility service are being considered for promotion Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (Civilian Officers) : Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government—</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) with 5 (Five) years' regular service in the posts in the pay scale of Rs 14300-18300 or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment</p> <p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Deputation or Re-employment (Service Officers) : Engineer Officers from the Services of the rank of</p> <p>(i) Colonel or equivalent with 5 (five) years' experience in the rank in planning or execution of civil works of major time-bound projects of Workshops/Factories/Research Establishments or Lieutenant Colonel/equivalent with 7</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of) :—</p> <p>1 Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman</p> <p>2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/ Scientist 'H' —Member</p> <p>3 Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member</p> <p>4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member</p>	Not applicable

(seven) years' regular service in the rank, and
 (ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment. The officers due to retire or those who are to be transferred to 'reserve' category within a period of one year and have the requisite experience and qualification shall also be considered. If selected such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to 'reserve' before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts)

Note (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of applications)

1	2	3	4	5
Additional Chief Construction Engineer	8* (2000)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs 14300-400-18300	Selection by merit
6	7	8		
Not exceeding 50 years (relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Not applicable.	Essential : (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/Mechanical Engineering or in Architecture (2) 10 years experience in planning or execution of civil works (3) Experience in planning/execution of major time-bound projects of Workshops/Factories/Research Establishments or Experience in Estate management (i.e. encroachments, development, usufructs, and litigation and other matters relating thereto), Provision Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and other matters relating thereto, and expert knowledge of Land Acquisition, Laws, Land valuation techniques, rules related to negotiated purchase/hiring of immovable property Desirable : Knowledge of scales of accommodation, budget monitoring and quantity surveying		

9	10	11
No	One year for direct recruits.	50% by promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment. 50% by deputation or re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment.
12	13	14
<p>Promotion : Deputy Chief Construction Engineer with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying, eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of) :- 1 Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman 2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H' —Member 3. Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member 4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation —Member</p>	Not applicable
<p>Deputation (Civilian Officers) : Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government — (a) (i) Holding analogous posts on regular basis. (ii) with Five years regular service in the pay scale of Rs 12000—16500 and (b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment</p>		
<p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion</p>		
<p>Deputation or Re-employment (Service Officers) Engineer Officers from the Services of the rank of (1) Colonel/equivalent, or Lieutenant Colonel/equivalent with 5 years' regular service in the rank and (ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment.</p>		
<p>The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' Category</p>		

within a period of one year and having the requisite experience and qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms.

Note : (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of application).

1	2	3	4	5
Deputy Chief Construction Engineer	10* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs. 12000-375-16500	Selection by merit.
6	7	8		
Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).	Not applicable	Essential : (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/Mechanical Engineering or in Architecture. (2) At least 8 years' experience in planning and execution of civil works. (3) Experience in planning/ execution of major time-bound projects of Workshops/Factories/ Research Establishments or Experience in Estate management (i.e. encroachment, development, usufructs and litigation and matters relating thereto); Provision of Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and matters relating thereto, and Knowledge of Land Acquisition Laws. Valuation of Land and rules related to negotiated purchasing/hiring of immovable property. Desirable : (1) Degree in Building and quantity surveying from Institute of Surveyors (2) Knowledge of Budget Control and monitoring of civil works. (3) Experience in formulation and planning of civil works.		

9	10	11
No	One year for direct recruits	75% by promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment 25% by deputation or re-employment of ex-service officers failing both by direct recruitment
12	13	14
<p>Promotion Construction Engineer with five years regular service in the grade Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of) :- 1 Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman 2 Chief Controller, Defence Research and Development Organisation/Scientist 'H' —Member 3 Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member 4 Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation —Member</p>	Not applicable
<p>Deputation (Civilian Officers) Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government:— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, (ii) with (five) years regular service in the pay scale of Rs 10000—15200, and (b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment</p>		
<p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p>		
<p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion</p>		
<p>Deputation or Re-employment (Service Officers)</p>		
<p>Engineer Officers from the Services of the rank of</p>		

12

13

14

(1) Lieutenant Colonel/equivalent, Major/equivalent with 5 (five) years regular service in the rank, and

(ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment.

The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' category within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms.

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
Construction Engineer	11* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs. 10000-325-15200	Selection by merit
	6	7		8
Not exceeding 35 years [relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time] The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti district and Pangti sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Not applicable.	Essential : (1) Degree or equivalent in Civil/Electrical/Mechanical Engineering or in Architecture. (2) At least 4 years' experience in planning and execution of works out of which at least 2 years should be on site/field Or Atleast 4 years experience in Estate Management (i.e. encroachment, developments, usufructs and litigation and matters relating thereto) : Provision of Civic amenities for inhabited estates, arboriculture and environmental health, civic taxes and matters relating thereto : and experience of land survey and Land acquisition, Valuation of land rules related to negotiated purchase/hiring of immovable property. Or Atleast 4 years, experience in vetting of running/final bills of civil works, scrutiny of contracts documents/deviation orders and	

6	7	8
		<p>amendments to contracts, control of civil works budget, stores audit with exposure to computer programming/system analysis</p> <p>Desirable :</p> <p>(1) Experience in planning/design of works connected with time-bound projects</p> <p>(2) Knowledge of Budget monitoring and control of works expenditure and scales of accommodation</p>
9	10	11
No	One year for direct recruits only	50% by promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment 50% by deputation or re-employment of ex-service officers, failing both by direct recruitment
12	13	14
<p>Promotion Deputy Construction Engineer with five years' regular service in the grade</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>Deputation (Civilian Officers) : Civilian Officers of the Organised Engineering Services of the Central Government—</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, (ii) with 5 (Five) years regular service in the pay scale of Rs 8000-13500, and</p> <p>(b) possessing the experience and educational qualification prescribed for direct recruitment</p> <p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of) -</p> <p>1. Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman</p> <p>2. Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member</p> <p>3. Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member</p> <p>4. An officer not below the rank of Scientist 'D'/equivalent from Department of Defence Research and Development —Member</p>	Not applicable

12

13

14

Deputation or Re-employment (Service Officers)

Engineer Officers from the Services of the rank of (i) Major/equivalent, or Captain/ equivalent with 5 years' regular service in the rank, and (ii) possessing the prescribed experience and educational qualification for direct recruitment

The officers due to retire or those who are to be transferred to 'Reserve' category within a period of one year and having the requisite experience shall also be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty-six) years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
Deputy Construction Engineer	9* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Technical)	Rs. 8000-275-13500	Selection by merit
	6	7		8
	Not exceeding 28 years [relaxable for Government servants upto 5 (five) years. The upper age limits relaxable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time]. [The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu Kashmir State, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep].	Not applicable.		Essential : Degree or equivalent in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering or in Architecture. Desirable : (1) Knowledge of scales of accommodation, formulation of civil works projects, preparation of project estimates/contract documents etc (2) Experience in designing or planning of technical administrative buildings of Research and Development Establishments/ Laboratories

9	10	11		
No	Two years	25% by promotion, failing which by direct recruitment. 75% by direct recruitment.		
12	13	14		
Promotion Assistant Construction Engineer with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — 1. Chairman Recruitment and Assessment Centre, Defence Research and Development Organisation —Chairman 2. Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation —Member 3. Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member 4. An officer not below the rank of Scientist 'C'/Equivalent from Department of Defence Research and Development —Member	Not applicable.		
1	2	3	4	5
Assistant Construction Engineer	9* (2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted (Technical)	Rs 6500-200-10500	Selection by merit
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
No.	No	By promotion		
12	13	14		
Promotion Senior Engineer Assistant with three years regular service in the grade Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — 1. Chief Controller Defence Research and Development Organisation—Chairman 2. Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation —Member 3. Chief Executive (Civil Works and Estates) —Member 4. An officer not below the rank of Scientist 'B'/Equivalent from Department of Defence Research and Development —Member	Not applicable		